फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर

भंवरसिंह बनाम सरकार

दमा संख्या : 17 / 2022

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	01.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 05.05.2025 को पेश हों।	
	05.05.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दौहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम गांवली, तहसील आंधी जिला जयपुर में प्रार्थी की स्थित भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 19 बिस्वा नहरी 1 है जिसके नये खसरा नम्बर 128 रकबा 0.0800है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.1600है0 हाल सेटलमेंट में बनाये गये है एवं प्रार्थी की भूमि में खसरा नम्बर 128 गै0मु0रास्ता दर्ज कर प्रार्थी की भूमि को खन्डीत कर दिया गया है। जब कि 19 बिस्वा में कोई रास्ता नही है और नवीन नक्शा त्रुटिपूर्ण कायम कर दिया गया है। अतः पूर्व खसरा नम्बर 216 रकबा 19 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 128 एवं 284 के राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती कर नक्शा एवं रिकार्ड पूर्वानुसार करने के आदेश पारित कर खसरा नम्बर 128 रकबा 0.0800है0 गै0मु0रास्ता के स्थान पर नहरी 1 दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावें। पैरोकार सरकार (तहसीलदार आंधी) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम गांवली के साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा 19 बिस्वा किस्म नहरी 1 हाल खसरा नम्बर 128 रकबा 0.08है0 किस्म गै0मु0रास्ता, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.16है0 प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खसरा नम्बर 128 का आंशिक भाग रास्ते के रूप मे काम आ रहा है व शेष भाग पडत है। अतः वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस का मनन करने एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम गांवली तहसील आंधी में स्थित साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा 19 बिस्वा किस्म नहरी 1 दर्ज रिकार्ड है। हाल सैटलमेंट में नवीन खसरा नम्बर 128 रकबा 0.0800है0 किस्म गै0मु0रास्ता व 284 रकबा 0.16है0 किस्म नहरी 1 कायम किये गये है। चुकि खसरा नम्बर 128 का आंकिश भाग रास्ते के रूप में काम आ रहा है तथा किस्म भी गै0मु0रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जो रास्ता सुखाचार की श्रेणी में आता है। जनहित को ध्यान में रखते हुए गै0मु0रास्ते की किस्म को परिवर्तित करना उचित नही समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को खारिज किया जाता है। निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।	